भारत सरकार

पर्यटन मंत्रालय

लोक सभा

लिखित प्रश्न सं. 2817

सोमवार, 21 मार्च, 2022/30 फाल्गुन, 1943 (शक)

को दिया जाने वाला उत्तर

पर्यटन सर्किट में नए पर्यटन स्थल जोड़ने हेतु राज्यों से प्राप्त प्रस्ताव

2817. श्री सुधाकर तुकाराम श्रंगरेः

श्री अरूण सावः

श्रीमती रंजीता कोलीः

श्री प्रदीप कुमार सिंहः

श्री परबतभाई सवाभाई पटेलः

श्री नारणभाई काछड़ियाः

श्री सुनील कुमार सिंहः

क्या **पर्यटन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या कोविड-19 महामारी से पर्यटन उद्योग बुरी तरह प्रभावित हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में सरकार द्वारा क्या सुधारात्मक उपाए किए जा रहे हैं;

(ग) क्या केंद्र सरकार को छत्तीसगढ़, राजस्थान, महाराष्ट्र, बिहार, गुजरात और झारखंड राज्य सरकार से पर्यटन सर्किट के तहत नए पर्यटन स्थल जोड़ने का कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) प्रस्तावों की वर्तमान स्थिति क्या है और उक्त प्रस्तावों पर सरकार द्वारा क्या निर्णय लिया गया है;

(ड.) क्या पिछले तीन वर्षों के दौरान केंद्र सरकार ने अपने-अपने राज्यों में नए पर्यटन स्थलों के विकास के लिए विभिन्न राज्य सरकारों को धन आवंटित किया है; और

(च) यदि हां, तो छत्तीसगढ़, राजस्थान, महाराष्ट्र, बिहार, गुजरात और झारखंड सहित राज्य-वार/संघ राज्यक्षेत्र-वार ब्यौरा क्या है?

उत्तर

पर्यटन मंत्री (श्री जी. किशन रेड्डी)

(क) और (ख): जी हाँ, महोदय । यह एक वास्तविकता है कि कोविड-19 महामारी से पर्यटन उद्योग बुरी तरह से प्रभावित हुआ है । भारत सरकार द्वारा घोषित विभिन्न राजकोषीय तथा गैर-राजकोषीय राहत उपाय, जिनसे पर्यटन उद्योग को सहायता मिलने की आशा की जाती है, का विवरण **अनुबंध I** में दिया गया है ।

(ग) से (च): पर्यटन मंत्रालय 'स्वदेश दर्शन' और 'तीर्थयात्रा जीर्णोद्धार एवं आध्यात्मिक, विरासत संवर्धन अभियान' (प्रशाद) योजनाओं के तहत देश में पर्यटन अवसंरचना के विकास के लिए

छत्तीसगढ़, राजस्थान, महाराष्ट्र, बिहार, गुजरात और झारखण्ड सहित राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों से पूर्ण परियोजना प्रस्तावों की प्रस्तुति के बाद वित्तीय सहायता प्रदान करता है । यह एक सतत प्रक्रिया है तथा परियोजनाओं को निधियों की उपलब्धता, उपयुक्त विस्तृत परियोजना रिपोर्ट की प्रस्तुति, योजना दिशानिर्देशों के अनुपालन और पहले जारी की गई निधियों के उपयोग आदि की शर्त पर स्वीकृत किया जाता है । पिछले तीन वर्षों में इन योजनाओं के तहत छत्तीसगढ़, राजस्थान, महाराष्ट्र, बिहार, गुजरात और झारखण्ड सहित विभिन्न राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों के लिए स्वीकृत प्रस्तावों तथा जारी की गई निधियों का विवरण **अनुबंध II** में दिया गया है ।

*****

अनुबंध ।

पर्यटन सर्किट में नए पर्यटन स्थल जोड़ने हेतु राज्यों से प्राप्त प्रस्ताव के संबंध में दिनांक 21.03.2022 के लोक सभा के लिखित प्रश्न सं. 2817 के भाग (क) और (ख) के उत्तर में **विवरण**

सरकार द्वारा घोषित विभिन्न वित्तीय राहत उपाय निम्नलिखित हैं, जिनसे भारतीय पर्यटन उद्योग को लाभ होने की आशा की जाती है:

i. सरकार ने आत्मनिर्भर भारत पैकेज की घोषणा की जिसके माध्यम से सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (एमएसएमई) के लिए 3 लाख करोड़ रुपये का संपार्श्विक मुक्त स्वचालित ऋण उपलब्ध कराया गया है । ऋण की अवधि 4 साल की होगी और 12 महीने का ऋण-स्थगन होगी ।
ii. सरकार ने 100 से कम कार्मिकों वाले और जिनके 90% कर्मचारियों की आय 15000 रुपये से कम वाले, संगठनों के लिए भविष्य निधि योगदान को तीन महीने के लिए माफ कर दिया ।
iii. आत्मनिर्भर भारत पैकेज के तहत, तीन महीने के लिए ईपीएफओ द्वारा कवर किए गए सभी प्रतिष्ठानों के लिए नियोक्ता और कर्मचारी दोनों के भविष्य निधि योगदान को प्रत्येक के लिए मौजूदा 12% से घटाकर प्रत्येक के लिए 10% कर दिया गया है।
iv. अक्टूबर 2020 तक स्रोत पर एकत्रित कर (टीसीएस) का आस्थगन।
v. पांच करोड़ रुपये तक की कंपनियों के लिए बिना किसी दंडात्मक ब्याज के रिटर्न फाइलिंग तीन महीने के लिए स्थगन, बाकी के लिए @9 प्रतिशत दंडात्मक ब्याज के साथ।
vi. केंद्र सरकार ने व्यापार निरंतरता और अस्तित्व सुनिश्चित करने के लिए कोविड-19 संकट को ध्यान में रखते हुए, अलग-अलग अवधि के लिए आयकर अधिनियम, कंपनी अधिनियम और जीएसटी अधिनियम के तहत विभिन्न नियामक अनुपालनों से राहत प्रदान की है ।
vii. भारतीय रिजर्व बैंक ने आवधिक ऋण पर स्थगन 31 दिसंबर 2020 तक बढ़ा दिया है ।
viii. केंद्र सरकार ने व्यापार निरंतरता और अस्तित्व सुनिश्चित करने के लिए कोविड-19 संकट को ध्यान में रखते हुए, अलग-अलग अवधि के लिए आयकर अधिनियम, कंपनी अधिनियम और जीएसटी अधिनियम के तहत विभिन्न नियामक अनुपालनों से राहत प्रदान की है ।
ix. भारत सरकार ने 31.03.2021 को पात्र सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (एमएसएमई) और व्यावसायिक उद्यमों को उनकी परिचालन देनदारियों को पूरा करने और अपने व्यवसाय को फिर से शुरू करने में सहायता करने के लिए आपातकालीन क्रेडिट लाइन गारंटी योजना (ईसीएलजीएस) 3.0 शुरू की है। आतिथ्य, यात्रा और पर्यटन और आराम और खेल क्षेत्रों में व्यावसायिक उद्यमों को कवर करने के लिए योजना का दायरा बढ़ाया गया है । ईसीएलजीएस (ईसीएलजीएस 1.0, ईसीएलजीएस 2.0 और ईसीएलजीएस 3.0) की वैधता को 30.06.2021 तक या 3 लाख करोड़ रुपये की राशि की गारंटी जारी होने तक बढ़ा दिया गया है । योजना के तहत संवितरण की अंतिम तिथि 30.09.2021 तक बढ़ा दी गई है । इस योजना के तहत जारी गारंटियों का विवरण निम्नानुसार है :

आपातकालीन क्रेडिट लाइन गारंटी योजना (ईसीएलजीएस) पर्यटन और आतिथ्य योजना के

अनुसार 31.01.2022 तक के आंकड़े			
उद्योग की प्रकृति	**इसके तहत सहायता**	**जारी की गई गारंटी की संख्या**	**योजना के तहत स्वीकृत ऋण के मद में जारी गारंटियों की राशि (करोड़ रु में)**
यात्रा और पर्यटन	ईसीएलजीएस 3.0	3,092	1,696.42
आतिथ्य	ईसीएलजीएस 3.0	3,853	6,841.91
होटल, रेस्टोरेंट, पर्यटन	ईसीएलजीएस 2.0	220	3,426.40
पर्यटन, होटल एवं रेस्टोरेंट	ईसीएलजीएस 1.0	96,550	3,569.68
कुल		1,03,715	15,534.41

x. वित्त मंत्रालय ने 16.06.2021 को सर्विस एम्पोर्ट फ्राम इंडिया स्कीम (एसईआईएस) स्क्रिप जारी करने की सहमति दी है । इससे पहले, कई उद्योग हितधारकों ने 2019-20 के लिए एसईआईएस स्क्रिप्स जारी करने के लिए सरकार से अपील की थी और डीजीएफटी ने 2019-20 के दौरान किए गए निर्यात के लिए एसईआईएस के आवंटन के लिए एक विस्तृत प्रस्ताव रखा था । सभी परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए, व्यय विभाग, वित्त मंत्रालय ने 2061 करोड़ रुपये के वित्तीय आवंटन के साथ 2019-20 के लिए एसईआईएस जारी रखने के वाणिज्य विभाग के प्रस्ताव को इस शर्त के अधीन सहमति दी है कि राशि एक नया लघु शीर्ष प्रदान करने की प्रक्रिया का पालन करते हुए व्यय बजट के माध्यम से उपलब्ध करायी जायेगी ।

xi. 28 जून, 2021 को, सरकार ने कोविड-19 महामारी से प्रभावित अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों के संवर्धन और विकास और रोजगार के उपायों को गति प्रदान करने के लिए प्रोत्साहन पैकेज की घोषणा की । पैकेज में तीन व्यापक श्रेणियों में कुल 17 उपाय शामिल हैं, जिसमें 'महामारी से आर्थिक राहत, स्वास्थ्य और पुनर्जीवित यात्रा और पर्यटन क्षेत्रों पर विशेष ध्यान देने के साथ' और 'विकास और रोजगार के लिए प्रोत्साहन' शामिल हैं ।

xii. यात्रा और आतिथ्य उद्योग के विभिन्न क्षेत्रों के लिए लॉकडाउन प्रतिबंधों में ढील के साथ व्यवसाय की सुरक्षित बहाली के लिए परिचालन सिफारिशें जारी की गई हैं और सभी हितधारकों के बीच परिचालित की गई हैं ।

xiii. कोविड-19 के पश्चात पुनरुद्धार की तैयारी की दृष्टि से, मंत्रालय ने 08.06.2020 को होटल, रेस्तरां, बीएंडबी/होम स्टे और पर्यटन सेवा प्रदाताओं के लिए कोविड सुरक्षा और स्वच्छता के लिए विस्तृत परिचालन दिशानिर्देश तैयार और जारी किए हैं ताकि व्यवसाय को सुचारू रूप से फिर से शुरू किया जा सके ।

xiv. होटल, रेस्तरां, बी एंड बी और अन्य इकाइयों के सुरक्षित संचालन के लिए कोविड -19 और उससे आगे के संदर्भ में जारी दिशानिर्देशों/एसओपी के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए ''साथी'' (आतिथ्य उद्योग के लिए आकलन, जागरूकता और प्रशिक्षण के लिए प्रणाली) नामक एक पहल विकसित की गई है ।

xv. पर्यटन उद्योग में हितधारकों को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से, घरेलू पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए हितधारकों को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए बाजार विकास सहायता योजना (एमडीए) के दिशा-निर्देशों को योजना के दायरे और पहुंच को बढ़ाने के लिए संशोधित किया

गया है, ताकि हितधारकों को अधिकतम लाभ प्रदान किया जा सके । ऑनलाइन प्रचार सहित अतिरिक्त प्रचार गतिविधियों को शामिल किया गया है और अनुमेय वित्तीय सहायता की सीमा को बढ़ाया गया है ।

xvi. होटलों और अन्य आवास इकाइयों के अनुमोदन या प्रमाणन की वैधता, जिनकी परियोजना अनुमोदन/पुनः अनुमोदन और वर्गीकरण/पुनर्वर्गीकरण समाप्त हो गया है/समाप्त होने की संभावना है, को 31 मार्च 2022 तक बढ़ा दिया गया है ।

xvii. विदेश संवर्धन और प्रचार योजना के तहत विपणन विकास सहायता कार्यक्रम के दिशानिर्देशों को संशोधित किया गया है ताकि योजना के दायरे और पहुंच को बढ़ाया जा सके, ताकि पर्यटन उद्योग में हितधारकों को अधिकतम लाभ प्रदान किया जा सके ।

*****

अनुबंध ।।

पर्यटन सर्किट में नए पर्यटन स्थल जोड़ने हेतु राज्यों से प्राप्त प्रस्ताव के संबंध में दिनांक 21.03.2022 के लोक सभा के लिखित प्रश्न सं. 2817 के भाग (ग) से (च) के उत्तर में **विवरण**

स्वदेश दर्शन योजना के अंतर्गत स्वीकृत परियोजनाओं का राज्य वार विवरण:

(करोड़ रु में)

क्र. सं.	**राज्य/संघ राज्य क्षेत्र**	**स्वदेश दर्शन**			
		परियोजनाओं की संख्या	**स्वीकृत राशि**	**निर्मुक्त राशि**	**प्रयुक्त राशि**
1.	आंध्र प्रदेश	3	141.53	141.77	137.83
2.	अरुणाचाल प्रदेश	2	146.49	124.05	124.05
3.	असम	2	185.66	162.72	157.68
4.	बिहार	5	272.85	235.67	214.03
5.	छत्तीसगढ़	1	96.10	84.81	79.15
6.	गोवा	2	197	187.14	181.37
7.	गुजरात	3	176.21	165.74	153.22
8.	हरियाणा	1	97.35	77.88	69.53
9.	हिमाचल प्रदेश	1	80.69	64.55	46.74
10.	जम्मू और कश्मीर तथा लदाख	6	522.35	396.04	338.53
11.	झारखण्ड	1	52.72	15.07	11.30
12.	केरल	5	410.89	182.66	142.39
13.	मध्य प्रदेश	4	350.67	315.26	314.70
14.	महाराष्ट्र	2	73.07	42.11	29.48
15.	मणिपुर	2	126.03	104.36	104.16
16.	मेघालय	2	184.1	140.12	129.68
17.	मिजोरम	2	158.63	137.18	139.77
18.	नागालैंड	2	195.5	185.73	169.03
19.	ओडिशा	1	70.82	56.65	52.94
20.	पंजाब	1	91.55	47.39	34.30
21.	राजस्थान	4	292.2	236.62	225.04
22.	सिक्किम	2	193.37	177.95	168.8
23.	तमिल नाडु	1	73.13	69.48	68.59
24.	तेलंगाना	3	268.39	233.53	191.65
25.	त्रिपुरा	2	147.85	78.68	69.79
26.	उत्तर प्रदेश	8	497.81	439.08	383.05
27.	उत्तराखंड	2	145.49	133.33	132.67
28.	पश्चिम बंगाल	1	67.99	68.31	64.96

29.	अंडमान एवं निकोबार द्वीप	1	27.57	13.46	12.29
30.	पुडुचेर्री	3	148.31	136.69	114.4
31.	मार्गस्थ सुविधाएँ (उत्तर प्रदेश और बिहार)	1	15.07	12.29	11.05
कुल		**76**	**5507.40**	**4466.32**	**4072.17**

प्रशाद योजना के अंतर्गत स्वीकृत परियोजनाओं का राज्य-वार विवरण:

(करोड़ रु. में)

क्र. सं.	**राज्य/ संघ राज्य क्षेत्र**	**परियोजना क्रमांक**	**परियोजना का नाम**	**संस्वीकृति का वर्ष**	**अनुमोदित लागत**	**निर्मुक्त राशि**
चल रही परियोजनाओं की सूची						
1.	**आंध्र प्रदेश**	1.	पर्यटन स्थल के रूप में अमरावती टाउन, गुंटूर जिले का विकास **	2015-16	27.77	27.77
		2.	श्रीसैलम मंदिर का विकास **	2017-18	43.08	43.08
2.	**अरुणाचल प्रदेश**	3.	परशुराम कुंड, लोहित जिला का विकास	2020-21	37.88	7.34
3.	**असम**	4.	गुवाहाटी में और आसपास कामाख्या मंदिर तथा तीर्थस्थलों का विकास **	2015-16	29.80	29.80
4.	**बिहार**	5.	विष्णु पद मंदिर, गया, बिहार में बुनियादी सुविधाओं का विकास **	2014-15	4.27	2.91
		6.	पटना साहिब का विकास **	2015-16	41.54	33.23
5.	**छत्तीसगढ़**	7.	माँ बम्लेश्वरी देवी मंदिर, राजनंदगाँव, डोंगरगढ़, छत्तीसगढ़ का विकास	2020-21	43.33	21.45
6.	**गुजरात**	8.	द्वारका का विकास **	2016-17	13.08	10.46
		9.	सोमनाथ में तीर्थयात्री सुविधाएं **	2016-17	45.36	45.36
		10.	प्रशाद योजना के अंतर्गत सोमनाथ में प्रोमेनाड का विकास **	2018-19	47.12	44.76
		11.	सोमनाथ गुजरात में कतार प्रबंधन संकुल के साथ तीर्थयात्री प्लाजा का विकास	2021-22	49.97	केवल प्रशासनिक अनुमोदन 10.03.22
7.	**हरियाणा**	12.	पंचकुला जिले में नाडा साहेब गुरुद्वारा और माता मंशा देवी मंदिर का विकास	2019-20	49.52	28.77
8.	**जम्मू एवं कश्मीर**	13.	हजरतबल में विकास	2016-17	40.46	32.37
9.	**झारखंड**	14.	वैद्यनाथजी धाम, देवघर का विकास	2018-19	39.13	31.23
10.	**केरल**	15.	गुरुवयूर मंदिर का विकास **	2016-17	46.14	36.91
	मध्य प्रदेश	16.	ओंकारेश्वर का विकास	2017-18	44.83	35.87
11.		17.	अमरकंटक का विकास	2020-21	49.99	4.86
12.	**महाराष्ट्र**	18.	त्रियंबकेश्वर का विकास	2017-18	37.81	19.28

13.	**मेघालय**	19.	मेघालय में तीर्थ यात्रा की सुविधाओं का विकास	2020-21	29.32	8.80
14.	**नागालैंड**	20.	नागालैंड में तीर्थस्थल अवसंरचना का विकास	2018-19	25.26	20.06
15.	**ओडिशा**	21.	मेगा परिपथ के तहत पुरी में श्री जगन्नाथ धाम - रामचंडी - देउली में प्राची नदी तट पर अवसंरचना विकास	2014-15	50.00	10.00
16.	**पंजाब**	22.	अमृतसर में करुण सागर वाल्मीकि स्थल का विकास **	2015-16	6.40	6.40
		23.	प्रशाद योजना के तहत रोपड़, पंजाब में चमकौर साहिब का विकास	2021-22	31.57	केवल प्रशासनिक अनुमोदन 10.03.22
17.	**नागालैंड**	24.	पुष्कर/अजमेर का समेकित विकास	2015-16	32.64	26.11
18.	**सिक्किम**	25.	युकसोम में चार संरक्षक संतों पर तीर्थयात्रा सुविधा का विकास	2020-21	33.32	18.50
19.	**तमिलनाडु**	26.	कांचीपुरम का विकास **	2016-17	13.99	13.99
		27.	वेल्लांकनी का विकास **	2016-17	4.86	4.86
20.	**तेलंगाना**	28.	जोगुलम्बा देवी मंदिर, आलमपुर का विकास	2020-21	36.73	10.27
21.	**त्रिपुरा**	29.	त्रिपुरा सुंदरी मंदिर, उदयपुर का विकास	2020-21	37.84	10.59
22.	**उत्तराखंड**	30.	केदारनाथ का समेकित विकास **	2015-16	34.77	34.77
		31.	प्रशाद योजना के अंतर्गत बद्रीनाथजी धाम (उत्तराखंड) में तीर्थयात्रियों की सुविधा के लिए अवसंरचना का विकास	2018-19	39.24	20.79
		32.	प्रशाद योजना के अंतर्गत उत्तराखंड में गंगोत्री तथा यमुनोत्री धाम में तीर्थयात्रियों की सुविधाओं के संवर्धन के लिए अवसंरचना का विकास	2021-22	54.36	14.06
23.	**उत्तर प्रदेश**	33.	मेगा टूरिस्ट परिपथ के रूप में मथुरा - वृंदावन का विकास (चरण II)**	2014-15	14.93	10.38
		34.	मथुरा जिले के वृंदावन में पर्यटक सुविधा केन्द्र का निर्माण **	2014-15	9.36	9.36
		35.	वाराणसी- चरण –I का विकास **	2015-16	20.40	16.32
		36.	गंगा नदी, वाराणसी में क्रूज पर्यटन	2017-18	10.72	8.57
		37.	प्रशाद योजना - चरण **II** के अंतर्गत वाराणसी का विकास	2017-18	44.60	31.77
		38.	गोवर्धन, मथुरा, उत्तर प्रदेश में	2018-19	39.74	30.97

			अवसंरचना सुविधाओं का विकास			
24.	**पश्चिम बंगाल**	39.	बेलूर का विकास	2016-17	30.03	23.39
			कुल		1291.16	785.42

****** परियोजनाओं का भौतिक निष्पादन पूरा हो चुका है ।

*****